

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना  
सं. 49/2023 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उप-धारा के तहत निम्नलिखित आपूर्ति को अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

- (i) ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति;
- (ii) ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति; और
- (iii) कसीनो में कार्यवाही योग्य दावों की आपूर्ति

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)  
निदेशक